निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :759/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गणेश राम पुत्र श्री दूलाराम जाति बलाई निवासी 38, बस स्टेण्ड, मूडियारामसर, नव सृजित तहसील कालवाड , जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अजीत कुमार पीठासीन अधिकारी न्यायालय तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर
2. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री हनुमान धानका निवासी मूडियारामसर, नव सृजित तहसील कालवाड , जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम 1989 बाबत तहसीलदार कालवाड के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 10/2022 ब उनवानी सरकार बनाम दुर्गा देवी व गणेश वर्मा (किस्म 135 (2)) को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कालवाड के समक्ष प्रकरण संख्या 10/2022 ब उनवानी सरकार बनाम दुर्गा देवी व गणेश वर्मा किस्म 135 (2) विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार कालवाड से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार कालवाड ने मुझे प्रकरण मे प्रथम बार उपस्थति हेतु दिनांक 08.03.2023 की पेशी नियत की जिसमें मै उपस्थित हुआ एवं जबाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.04.2023 नियत की गई । दिनांक 06.04.2023 को मेरे परिवार में काका जी श्री बोदूराम पुत्र श्री बिरदाराम की

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मृत्यु हो जाने के कारण जबाब नहीं दे सका, जिस पर तहसीलदार ने शुक्रवार से रविवार तक का अवकाश के पश्चात सोमवार दिनांक 10.04.2023 की पेशी दे दी । दिनांक 10.04.2023 को जबाब के लिये समय चाहने और उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्व मेरे द्वारा अपीलें माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष के विचाराधीन होने एवं अपीलों के अन्तिम निर्णय तक धारा 135 (2) की कार्यवाही को स्थगित किये जाने एवं जबाब हेतु न्याय हित में एक अवसर चाहने हेतु कुल दो प्रर्थना पत्र पेश किये एवं साथ ही मौखिक निवेदन किया कि मेरे काकाजी की मृत्यु. हो जाने के कारण उनके 12 दिन शीशी पूजन के बाद की तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया। जिससे तहसीलदार नाराज हो गया एवं दोनों प्रार्थना पत्र खारिज कर बिना मेरी साक्ष्य एवं मेरे गवाहों की गवाही एवं जिरह बिना, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही फाईल का अन्तिम निर्णय करने हेतु दिनांक 13.04.2023 की तारीख पेशी नियत कर दी । जबकि प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का नियम है। तहसीलदार श्री अजीत कुमार भू–मफियाओं से प्रभावित होकर मेरी बिना साक्ष्य, गवाही, जिरह दस्तावेज प्रस्तुत करने के अवसर के बिना ही प्रिज्यूडिस होकर दिनांक 13.04.2013 को निर्णय करने पर उतारू है। मेरी भूमि की वर्तमान कीमत करीब 5 करोड रूपये है जिस पर भू माफियाओं की दृष्टि है जिन्होंने तहसीलदार को प्रभाव में ले रखा है । मुझे पूर्ण अन्देशा है कि तहसीलदार जी इन भू माफियाओं से प्रभावित होकर अपने लालच के लिए मेरे विरूद्व निर्णय कर सकते है । क्योंकि दिनांक 08.03.2013 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाहने हेतु आवेदन करने पर तहसीलदार जी ने करीब 25 दिन तक मुझे सम्पूर्ण पत्रावली की नकल नहीं दी । दिनांक 3.04.2023 को केवल मात्र 5 पेजों की नकल जारी कर दी। जिसमें दिनांक 08.03.2023 की आदेशिका की नकल को छिपाते हुये मुझे सम्पूर्ण पत्रावली की नकल नही दी । सम्पूर्ण पत्रावली की नकल के अभाव में एवं दस्ताजावेजात के अभाव में एवं मेरे परिवार में काकाजी की दिनांक 06.04.2023 को मृत्यु हो जाने के कारण जबाब तैयार नहीं करा सका । तहसीलदार जी ने दिनांक 10.04.2023 को मेरा जबाब बंद कर मेरे विरूद्व निर्णय करने हेतु पत्रावली नियत कर दी । जब तक प्रकरण में दोनों पक्षों के बयान, गवाहों के बयान, दस्तोजात जबाब आदि नहीं हो जाते तब तक बिना साक्ष्य व गवाही के प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नही होता है। इस बात को तहसीलदार जी भलीभाति जानते हुये भू माफियाओं के प्रभाव में आकर उनसे मिलीभगत कर प्रिज्यूडिस होकर मुझे सदोष हानी व विपक्षी को सदाष लाभ पहुॅचाना चाहते है। जिस पर मेरे अधिवक्ता ने बाद साक्ष्य, जबाब दोनों पक्षों की गवाह के प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार नें यह कहते हुये व्यंग किया कि तहसीलदार की किसी गलत कार्यवाही के कारण आज तक किसी तहसीलदार को सजा नही हुई और किसी तहसीलदार को सजा हुई तो अपने वकालत के कैरियर में ऐसे कोई उदाहरण हो तो मुझे बात देना मुझे जो करना है वह करके रहूंगा। प्रकरण में दिनांक 13.04.2023 की पेशी विना साक्ष्य गवाही के बिना ही अन्तिम निर्णय में नियत करा दिया है मुझे तहसीलदार श्री अजीत कुमार से न्याय की कतई कोई उम्मीद व आशा नही है ।

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 10.04.2023 के बाद दिनांक 11.04.2023 को ज्योतिबा राव फूले की जयन्ती का अवकाश घोषित होने के बावजूद दिनांक 13.04.20123 की ही पेशी प्रकरण में दे कर मेरे विरूद्व फैसला करने की आशंका चलते हुए तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर कतई विश्वास नहीं है और ना ही मुझे न्याय की कोई उम्मीद व अशा है क्यों कि प्रकरण में दिनांक 06.04.2023 से पहले 30–40 दिनों की पेशियां दी जाती थी। दिनांक 06.04.2023 के बाद तहसीलदार भू माफियाओं से मिल कर अपने लालच के चलते प्रकरण में डे टू डे पेशियां दे कर बिना साक्ष्य व गवाहों की गवाही व दस्तावेजों के मेरे विरूद्व निर्णय करने पर उतारू है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) एवं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेन्ट अपील संख्या 6901/2022 कमला नेती बनाम स्पेशल लेण्ड एक्वाईजेशन ओफिसर डी बी निर्णय दिनांक 9.12.2022 के अनुसार एक अनुसूचित जन जाति के मृतक पिता की सम्पत्ति में पुत्री को कानूनन उत्तराधिकार नही माना एवं विरासति अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । उपरोक्त काननू नियम एवं कायदों के विपरीत जाकर तहसीलदार ने मेरे विरूद्व निर्णय करने एवं विपक्षी के पक्ष में दिनांक 13.04.20123 को निर्णय करने का जिम्मा लें रखा है यदि ऐसे व्यक्ति के गलत कृत्य को नहीं रोका गया तो मेरे साथ अन्याय होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नही होगा एवं भविष्य में वाद विवाद गढेंगे । इसलिए उक्त पत्रावली का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने झूंठे एवं काल्पनिक आरोप लगाते हुये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थी को परेशान करने के उद्वेश्य पेश किया गया है जिसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस रिकार्डेड सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय तहसीलदार कालवाड को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर